राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2172/2016

डी.एन. अग्रवाल

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
2. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
3. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, ज्योति नगर, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 21.05.2024

उपस्थिति :–

अपीलार्थी की ओर से : श्री आनन्द शर्मा, अभिभाषक

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. अपीलार्थी ने इस अपील में निम्न प्रकार से प्रार्थना की है :–

"It is, therefore, humbly prayed that this writ petition may kindly be allowed and this Hon'ble Court may graciously be pleased to call for relevant record and same may kindly be perused and if this Hon'ble Court so pleased and by way of appropriate writ, order of direction -

i) Order dated 24.02.2016 issued by the Respondents may kindly be held arbitrary and illegal; and same may kindly be quashed and set aside. The Respondents may also be directed to continue to release regular pension of the Appellant in accordance with earlier revised PPO dated 07.02.2014/22.02.2014.

ii) The respondents may kindly be directed to ensure fixation of pension of the Appellant by extending benefit of Finance Department's notification dated 12.10.2009 (amended and clarified from time to time) by making fixation in revised pay scale of Rs.37400 67000 (grade pay Rs.9000/-) with effect from 01.01.2006 in favour of the Appellant and his pension may be revised accordingly and payment of arrears of difference of pension may also be directed to be made along with interest @9% p.a.;

iii) The respondents may also be restrained from making any recovery from the pension of the Appellant pursuant to impugned order dated 24.02.2016 as well as they may also be directed to refund the amount illegally recovered by them pursuant to aforesaid order dated 24.02.2016.

Any other appropriate order or direction looking to the facts and circurnstances of the present case may also kindly be passed in favour of humble Appellant. "

2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी के मामले के समान मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रकरण एस.बी सिविल रिट याचिका संख्या

9264/2011 एस.के. सोनी बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य याचीकाओं में याचीगण को लाभ प्रदान किया है। अपीलार्थी को भी उसी प्रकार से लाभ प्रदान किया जाए। अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय के विरूद्ध राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्डपीठ में अपील प्रस्तुत की गयी थी, जो डी बी सिविल स्पेशल अपील संख्या 1045/2013 राजस्थान राज्य एवं अन्य बनाम चन्दूराम कुक्कर व अन्य याचिकाओं में आदेश दिनांक 19.08.2014 के द्वारा अपील खारिज की जा चुकी है। ऐसे में माननीय उच्च न्यायालय की एकल पीठ द्वारा पारित निर्णय यथावत रहा है। जिस निर्णय के आधार पर अपीलार्थी को लाभ दिया जाए।

3. हम यह पाते हैं कि अपीलार्थी का मामला माननीय उच्च न्यायालय के प्रकरण एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 9264/2011 एस.के. सोनी बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 08.04.2013 से भिन्न नहीं है। उक्त याचिका में माननीय उच्च न्यायालय ने निम्न प्रकार से आदेश दिये थे :–

> "In view of discussion made above, all the writ petitions are allowed. The respondents are directed to consider the case of all the petitioners as per the Memorandum dated 12.9.2008 for revision of the pension after taking note of the pay scale so notified vide Notification dated 12.10.2009 at annexure-4 and 13.5.2010 at annexure-5. If the petitioners had completed 3 years service in the selection scale prior to their retirement, then pay scale in the pay band of Rs.37400-67000 would be taken into consideration for them and pension be revised accordingly. The directions given aforesaid may be complied with within a period of three months from the date or receipt of copy of this order."

4. चूंकि अपीलार्थी का मामला माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के समान है। ऐसे में इस अपील में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी को वही लाभ प्रदान किया जाए, जो माननीय उच्च न्यायालय ने एस.बी सिविल रिट याचिका संख्या 9264/2011 एस.के. सोनी बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में याचीगण को प्रदान किये हैं। उक्त आदेश के साथ अपील का निस्तारण किया जाता है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)